पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-615

दिनांक 16.04.2026

जोन- उत्तरी/थाना- रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01.संक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय अपर सिविल जज/जू0डि0 न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट वादं सं0- 121/10, अ0सं0- 455/08 धारा 504/506 भा0दा0वि0 थाना मलिहाबाद वर्तमान थाना रहीमाबाद से सम्बन्धित वारण्टी राजू पुत्र दुलारे उम्र करीब 52 वर्ष निवासी नई बस्ती मजरा गौन्दा मुअज्जमनगर व वाद सं0-216/06, क्राइम सं0-169/05 थाना मलिहाबाद वर्तमान थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टीगण 01. श्यामलाल पुत्र महावीर पाल उम्र करीब 65 वर्ष, 02. मेवालाल पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम शिवपुरी मजरा ससपन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ के घर पर गिरफ्तारी हेतु दबिश देकर आज दिनांक 16.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त/वारण्टी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02.गिरफ्तार अभियुक्तगण विवरण:-

1.राजू पुत्र दुलारे उम्र करीब 52 वर्ष निवासी नई बस्ती मजरा गौन्दा मुअज्जमनगर

2.श्यामलाल पुत्र महावीर पाल उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम शिवपुरी मजरा ससपन थाना रहीमाबाद लखनऊ

3.मेवालाल पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 24 वर्ष ग्राम शिवपुरी मजरा ससपन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद-

1.वादं सं0- 121/10, अ0सं0- 455/08 धारा 504/506 भादवि थाना मलिहाबाद वर्तमान थाना रहीमाबाद

2.वाद सं0-216/06, क्राइम सं0-169/05 थाना मलिहाबाद वर्तमान थाना रहीमाबाद जनपद लखन

04.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिरूद्ध मिश्रा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रामसेवक राना थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
3. का0 राहुल यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
4. .का0 धर्मेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-613

दिनाक-16.04.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शिव दुर्गा मंदिर हबीरपुर में दान पेटी तोड़कर चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को वादी श्री रामभजूराय पुत्र श्री वालेश्वर राय निवासी आदर्श नगर नीलमथा लखनऊ के द्वारा अभियुक्त दीपांशु उर्फ मोगली द्वारा शिव दुर्गा मंदिर हबीरपुर में दान पेटी तोड़कर रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके जुर्म धारा 303(2)/317(2) से अवगत कराते हुए जनता के सहयोग से अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली उपरोक्त को समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर दान पेटी से चोरी किये 1605/- रूपये व दान पेटी को बरामद करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0230/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

04- नाम पता अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

1.दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (मजदूरी का काम करता है)

05-अभियुक्त दीपांशु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 496/2022 धारा 457/380/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 565/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

05- पूछतांछ विवरण-

अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत बताया कि साहब मैने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिये मंदिर से चोरी किया था। साहब गलती हो गयी है माफ कर दीजिये।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम व जनता के सहयोग से।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-613

दिनाक-16.04.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शिव दुर्गा मंदिर हबीरपुर में दान पेटी तोड़कर चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को वादी श्री रामभजूराय पुत्र श्री वालेश्वर राय निवासी आदर्श नगर नीलमथा लखनऊ के द्वारा अभियुक्त दीपांशु उर्फ मोगली द्वारा शिव दुर्गा मंदिर हबीरपुर में दान पेटी तोड़कर रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके जुर्म धारा 303(2)/317(2) से अवगत कराते हुए जनता के सहयोग से अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली उपरोक्त को समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर दान पेटी से चोरी किये 1605/- रूपये व दान पेटी को बरामद करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0230/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

04- नाम पता अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

1.दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत निवासी हबीरपुर हरिहरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (मजदूरी का काम करता है)

05-अभियुक्त दीपांशु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 496/2022 धारा 457/380/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 565/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

05- पूछतांछ विवरण-

अभियुक्त दीपांशु रावत उर्फ मोगली पुत्र स्व0 गुड्डू रावत बताया कि साहब मैने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिये मंदिर से चोरी किया था। साहब गलती हो गयी है माफ कर दीजिये।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

➢ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम व जनता के सहयोग से।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-612
दिनांक-16.04.2026

जोन- दक्षिणी / थाना- पीजीआई

थाना पीजीआई पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी का सफल अनावरण, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- **चोरी की HERO मोटरसाइकिल (UP30U9866) बरामद**
- **उतरेठिया क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी**
- **अभियुक्त नशे का आदी, नशे की पूर्ति हेतु करता था चोरी**
- **अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज**
- **लखनऊ पुलिस द्वारा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सतत अभियान जारी**

01-घटना का सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.04.2026 को वादी इसरार अहमद पुत्र जहूर अहमद निवासी कैम्पबेल रोड, बालागंज, जनपद लखनऊ द्वारा थाना पीजीआई पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 05.04.2026 को रायबरेली रोड स्थित उनकी दुकान (स्मार्ट मोबाइल, सिंध बेकरी के पास) के बाहर खड़ी उनके मित्र की मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई।

इस संबंध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया।

02- विवेचना व अभियुक्त की गिरफ्तारी:-

उ0नि0 पंकज नायक मय पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना के अनावरण हेतु वृंदावन योजना, चिरैया बाग, उतरेठिया गांव सहित विभिन्न स्थानों पर तलाश एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति उतरेठिया पुल के नीचे खड़ा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम **दुर्गेश रावत उर्फ बाबू** पुत्र स्व0 ओमप्रकाश रावत निवासी कटहरीबाग, नीलमथा, थाना कैण्ट, लखनऊ, उम्र लगभग 24 वर्ष बताया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। तत्पश्चात अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया।

03- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नशे का आदी है तथा नशे की पूर्ति हेतु मौका पाकर मोटरसाइकिल चोरी करता है। उक्त मोटरसाइकिल को उसने लगभग 10 दिन पूर्व उतरेठिया बाजार क्षेत्र से चोरी किया था तथा उसे बेचने की फिराक में था।

04-अपराध का उद्देश्य:-

नशे की लत को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभ अर्जित करना।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. दुर्गेश रावत उर्फ बाबू पुत्र स्व0 ओमप्रकाश रावत उम्र करीब 24 वर्ष

निवासी- कटहरीबाग नीलमथा थाना कैण्ट लखनऊ **व्यवसाय-** मजदूरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-610
दिनांक-16/04/2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज।

गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों का 5,78,60,250/- की सम्पत्ति कुर्क।

- गैंगेस्टर एक्ट के तहत ₹5.78 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
- संगठित धोखाधड़ी गैंग पर बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर सहित सदस्यों की संपत्ति जब्त
- रियल एस्टेट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब
- ओमेक्स सिटी स्थित प्लॉट, मकान व लग्जरी वाहन कुर्क
- सेना व अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों को भी बनाते थे निशाना
- लखनऊ पुलिस की अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत **श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ श्री बब्लू कुमार** के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री विकास कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना मोहनलालगंज व नगराम पुलिस टीम तथा राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही की गई।

इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष नगराम श्री विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत गैंग लीडर **प्रमोद कुमार उपाध्याय**व गैंग सदस्य **विनोद कुमार उपाध्याय** की कुल **5,78,60,250/- रुपये (लगभग पांच करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार दो सौ पचास रुपये)**मूल्य की चल/अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग जैसे गंभीर अपराध कारित किए गए। वर्ष 2020 से अब तक थाना मोहनलालगंज, पीजीआई, सरोजनीनगर, कैण्ट एवं आशियाना, जनपद लखनऊ में कुल 66 अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें हत्या के प्रयास की भी घटना की गयी है जिसका अभियोग थाना पीजीआई में पंजीकृत है।अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोहनलालगंज में मु0अ0सं0 448/25 धारा 2(ख) उपधारा(1),(11)/3(1) गैंगेस्टर अधि0 पंजीकृत पंजीकृत किया गयाजिसकी विवेचना थानाध्यक्ष नगराम द्वारा की जा रही है।

03. गैगेस्टर में नामित अभियुक्तगण—

01-(गैंग लीडर) प्रमोद कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 हरिद्वार उपाध्याय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया हाल पता बी 361 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ

02-(सदस्य) विनोद कुमार उपाध्यायपुत्र स्व0 हरिद्वार उपाध्याय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया हाल पता बी 361 ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ

03-(सदस्य) मदन राम पुत्र स्व0 विश्वनाथराम मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया

04-(सदस्य) ओंकारनाथ पाण्डेय पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय मूल निवासी राजागांव खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-616 **दिनांक- 16.04.2026**

लखनऊ पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए " आईटी एक्ट विवेचना" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में, लखनऊ पुलिस आयुक्त **श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16.04.2026 को **आईटी एक्ट से संबंधित कानून** विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम **रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ स्थित संगोष्ठी सदन** में आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) **सुश्री सौम्या पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 16.04.2026 को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष प्रशिक्षण शाखा के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें **साइबर अपराधों की विवेचना में आने वाली चुनौतियों, साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधानिक स्वीकार्यता तथा प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया।**

प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था:-

कार्यशाला में **समस्त थानों पर नियुक्त आईटी एक्ट के विवेचक तथा वर्ष 2015 बै च के एक-एक उप निरीक्षक** सम्मिलित हुए। **प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 35 प्रतिभागियों की सहभागिता रही।** कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रस्तुतीकरण, तकनीकी उपकरणों एवं समन्वय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण:

प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों **प्रशिक्षक श्री एम0पी0 चौहान अभियोजन अधिकारी व श्री प्रवीण तिवारी, सहायक अभियोजन अधिकारी**,द्वारा प्रतिभागियों को आईटी एक्ट से जुड़े विधिक एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं की गहन जानकारी प्रदान की गई। आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं, डिजिटल साक्ष्यों के संकलन और विवेचना के दौरान बरती जाने वाली तकनीकी सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-610
दिनांक-16.04.2026

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा 10 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए

- **बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत ₹1,90,000/-**
- **CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर विभिन्न जनपदों से की गई रिकवरी**
- **साइबर हेल्पडेस्क टीम की सक्रियता व तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण**
- **मोबाइल प्राप्त कर नागरिकों ने जताई प्रसन्नता, लखनऊ पुलिस की सराहना**
- **पुलिस कमिश्नरेट द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण एवं जनसहायता हेतु निरंतर प्रयासरत**

संक्षिप्त विवरण:-

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) एवं सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गाजीपुर के नेतृत्व में थाना गाजीपुर की **साइबर हेल्पडेस्क टीम** द्वारा सराहनीय कार्यवाही की गई।

थाना क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खोए हुए मोबाइल फोनों के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर टीम द्वारा **CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल** का प्रभावी उपयोग करते हुए मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया। ट्रेसिंग के दौरान मोबाइल फोनों की लोकेशन लखनऊ सहित अन्य जनपदों में पाई गई।

साइबर टीम के अथक प्रयासों, तकनीकी दक्षता एवं समन्वय के माध्यम से कुल **10 अदद मोबाइल फोन** बरामद कर उचित माध्यम से थाना गाजीपुर पर मंगवाया गया तथा सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को विधिवत सुपुर्द किए गए। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग **₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार रुपये)** है।

लाभान्वित मोबाइल स्वामी:

मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों में—

1. संजय सिंह
2. राहुल कश्यप
3. अनूप श्रीवास्तव
4. आदित्य यादव
5. सनी कश्यप
6. प्रियंका त्रिपाठी
7. प्रदीप कुमार यादव
8. दीपक कुमार लोधी
9. प्रहलाद प्रसाद
10. अजय कुमार

सभी लाभार्थियों द्वारा अपना खोया मोबाइल वापस पाकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा **लखनऊ पुलिस एवं थाना गाजीपुर साइबर टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा** की गई।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-611
दिनांक-16.04.2026

मध्य जोन/थाना आलमबाग

आलमबाग पुलिस द्वारा चेन छिनैती की घटना का सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार

- **दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास हुई घटना का 07 दिन में खुलासा**
- **अभियुक्त के कब्जे से दो घटनाओं से संबंधित चेन के टुकड़े व स्कूटी बरामद**
- **सर्विलांस व पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से मिली सफलता**
- **अभियुक्त शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी, पूर्व में भी दर्ज है आपराधिक इतिहास**
- **लखनऊ पुलिस द्वारा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सतत अभियान जारी**

01-कार्यवाही-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री विक्रान्त वीर के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री जितेन्द्र दुबे तथा सहायक पुलिस आयुक्त, कैण्ट श्री अभय प्रताप मल्ल के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक श्री राम बाबू सिंह, थाना आलमबाग के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम एवं सर्विलांस टीम मध्य जोन द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 09.04.2026 को ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही एक महिला के साथ दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास हुई चेन छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दिनांक 16.04.2026 को समय 03:20 बजे प्रातः टुनटुनिया फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित पीली धातु की चेन का टुकड़ा वजनी करीब 2 ग्राम तथा घटना में प्रयोग की गयी स्कूटी बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से थाना नाका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित पीली धातु की चेन का टुकड़ा वजनी 05 ग्राम बरामद किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना नाका को सूचित किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना आलमबाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का विवरण-

वादिनी श्रीमती नैला कुरील द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 09.04.2026 को वह ऑटो रिक्शा से आलमबाग की ओर जा रही थीं। दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति ऑटो से उतरा और झपट्टा मारकर उनके गले से पीली धातु की चेन छीन ली तथा पास में खड़ी स्कूटी से फरार हो गया। घटना के दौरान चेन का आधा हिस्सा टूटकर वादिनी के पास रह गया। इस संबंध में थाना आलमबाग पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

03-अपराध कारित करने का तरीका –

अभियुक्त एक शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी है, जो त्वरित आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से चेन छिनैती की घटनाओं को अंजाम देता है। घटना के बाद तत्काल वाहन का उपयोग कर फरार हो जाता है।